राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(131)परि/नियम/मु./95/21278 जयपुर, दिनांकः 25/11/2021

कार्यालय आदेश संख्या 22/2021

विषयः– मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 47 के अन्तर्गत अन्य राज्यों से राजस्थान में लाये जाने वाले वाहनों को Assignment of new registration mark प्रदान किये जाने संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत कुछ समय से राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय परिवहन कार्यालयों में पूर्वोत्तर राज्यों (विशेषतः अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैण्ड) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के आधार पर पुनः पंजीयन कार्यो में अनियमितता किया जाना परीलक्षित होता है।

इस विषय में परिवहन विभाग द्वारा अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त वाहनों का राजस्थान में पुनः पंजीयन करने के संबंध में समय–समय पर विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये हैं। इन निर्देशों में प्रक्रियात्मक सारवान तथ्यों को रेखांकित किया गया था, जिनमें वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र व अनापत्ति प्रमाणपत्र बिल्कुल सही एवं वास्तविक (Correct and Genuine) होने, वाहन सम्बधी अन्य दस्तावेज भी मूल रूप से प्रामाणिक होने तथा वाहन की सटीकता से भौतिक एवं यांत्रिक जांच सुनिश्चित किये जाने के अवयवों को गंभीरता प्रदान की गई थी।

कुछ पंजीयन अधिकारी पूर्व में जारी निर्देशों की पूर्ण अवहेलना करते हुये, वाहन से संम्बधी दस्तावेजों की श्रृखला (Chain of documents) के परीक्षण तथा वाहन का भौतिक सत्यापन किये बिना ही अनियमित तरीके से वाहनों का पुनः पंजीयन किया जाना प्रतीत होता है। आशंका है कि असाइमेंट हेतु आवेदक द्वारा जिस वाहन का मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उस मूल पंजीयन प्रमाणपत्र को चैसिस नम्बर में टेम्परिंग कर कूट दस्तावेजों के आधार पर पॉर्टल पर बैकलॉग के माध्यम से सृजित किया गया हो। ऐसे वाहन के चैसिस नम्बर, इंजन नम्बर एवं वाहन हिस्ट्री आदि की गंभीरता से जांच करने पर उक्त अनियमितता आसानी से पकडी जा सकती है, लेकिन पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा इस अहम प्रक्रिया को नजर अदांज किया जाना प्रकट होता हैं।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में पूर्व में भी इस प्रकार की अनियमितता बरते जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरूद्व अपराधिक मुकदमें दर्ज हुए हैं तथा विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाकर सेवा बर्खास्तगी से भी दण्डित किया गया है।

अतः वाहनों की पंजीयन/पुनः पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित प्राधिकारियों/कार्मिकों को आगाह किया जाता है कि असाइनमेंट के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त विभागीय दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। वाहन के मौलिक रूप में क्रय से लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इतिहास श्रृंखला (History Chain) की जांच किये बगैर तथा वाहन के भौतिक व यांत्रिक रूप से सटीक एवं गहराई से जांच किये बगैर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहनों की पंजीयन/पुनः पंजीयन की कार्यवाही करने पर इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर गंभीरतम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा सीसीए नियमों के नियम 16 में कार्यवाही की जायेगी।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.7(131)परि/नियम/मु./95/21279-86 जयपुर, दिनांक: 25/11/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं सिस्टम एनालिस्ट।
8. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव